मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 13 /प्रवर्तन खण्ड जोन–सी/2021 दिनांकः 09/04/2021

सेवा में,

श्री एल0एन0सौनी,
पी0पी0एस–मा0 चेयरमैन
ओवर साईट कमेटी,
एन0जी0टी0, यू0पी0,
लखनऊ।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 59/2020 डा0 अजय कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 07.04.2021 को सम्पन्न ओवर साईट कमेटी की बैठक की रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय ई–मेल दिनांक 31.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 07.04.2021 (बुधवार) समय 11.00बजे पूर्वान्ह में ओवर साईट कमेटी की विडियों कान्फ्रेसिंग द्वारा हुई बैठक की तथ्यात्मक एवं कृत कार्यवाही की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

09/4/2021
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

13/प्रवर्तन/2405/जोन/2021 दि0 9/5/2021

माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0न0—0059/2019 डा0 अजय कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में तथ्यात्मक एवं कृत कार्यवाही की आख्या।

मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0—0059/2019 डा0 अजय कुमार बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एन्ड अदर्स में न्यायालय द्वारा खडौली बागपत रोड ओवर ब्रिज प्रस्तावित बस स्टैड नेशनल हाईवे—58 मेरठ वाईपास मोदीपुरम वाईपास टू खिरवा रोड भोला रोड विलेज सूदपुर (पठानपुरा) में स्थित पार्क, ओपन स्पेस, ग्रीन वर्ज में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न आदेश दिनांक 11/09/2020 में पारित किये गये।

"MDA has taken action against the un-authorized construction in different areas along with the areas proposed for parks, open spaces and green belt in meerut master plan-2021, in accordance with the relevant provision under the U.P. Urban planning and development act, 1973 by issuing 255 notices. In accordance with the aforesaid provisions the proceedings for sealings and demolition of un-authorised illegal construction is in progress. Uptill now 08 un-authorised construction have been sealed and 50 un-authorised construction demolition order have been passed in which demolition will be effected after the entering of the period prescribed in law."

उक्त आदेश के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना—2021 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका के अन्तर्गत आने वाली समस्त खसरा संख्यओं के समस्त राजस्व ग्रामों के सजरा प्लान पर सुपरइम्पोज करते हुए समस्त उप निबंधक, स्टाम्प व निबंधन विभाग, जनपद मेरठ एवं जिलाधिकारी, मेरठ के इस आशय का अनुरोध पत्र दिनांक 23—06—2020 के साथ प्रेषित किया गया है कि भूमि कय विक्रय के समय निष्पादित किये जाने वाले अभिलेख/विक्रय विलेख में गाटा संख्या, ग्राम, तहसील, जनपद, विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र एवं महायोजना में चिन्हित भू—उपयोग को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये। आमजन को सजग करने के लिए कि प्रश्नगत क्षेत्रों में मेरठ महायोजना—2021 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका हेतु आरक्षित होने के बोर्ड लगवाये गये जिनमें यह अंकित किया गया कि यहा किसी भी प्रकार का निर्माण महायोजना 2021 में निर्धारित भूउपयोग के अनुसार ही करे। महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक: 2582/शि0का0लख0/2020 विविध (आर0के0एस0) दिनांक 27—11—2020 के द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन हेतु समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धनं, उ0प्र0 समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 समस्त उपनिबंधक उ0प्र0 को विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महोयोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल, महायोजना मार्ग के भू—उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण पर

प्रभावी रोक–थाम हेतु विक्रय विलेख में निम्नवत् विवरण को अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने का निर्देश दिये गये है:–

(क) गाटा संख्या, ग्राम, तहसील, तथा जनपद का नाम अंकित किया जाये।

(ख) विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र/ विकास क्षेत्र का नाम अंकित किया जाये।

(ग) सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाये।

प्रश्नगत क्षेत्र में पूर्व निर्मित एवं निर्माणाधीन निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत धारा–26,27 के अन्तर्गत भवन स्वामियों को अपने निर्माण सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु वाद योजित करते हुए नोटिस निर्गत किये गये। वर्तमान में लगभग 289 से अधिक निर्माणों को चिन्हित करते हुए नोटिस निर्गत किये जा चुके है। निर्माण सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर 211 निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये है। शेष 78 प्रकरणों में कारण बताओं नोटिस के अन्तर्गत सुनवाई की जा रही है।

मुख्य मार्गो पर स्थलीय चिन्हीकरण का कार्य करते हुए वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध होने पर स्थल पर 20 भवनो को सील व 38 दुकानों, एक ढावा, एक आवासीय भवन, एक कार वाशिंग सैन्टर, दो अवैध कालोनी एवं दो ऑफिस (मार्वल) ध्वस्त किये गये।

यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा के माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 16357/2020 अब्बास अन्सारी एन्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एन्ड 3 अदर्स में दिनांक 15/10/2020 को निम्न आदेश पारित किये गये।

Accordingly, we direct that:

1. The state authorities, where ever demolition orders are passed in respect of constructions raised on the private properties under the two acts, should wait from taking any action for actual demolition till the statutory period of appeal comes to an end.

2. The appellate authority empowered the two acts should endeavour to decide the interim applications filed along with the appeals, if any, expeditiously preferably within a period of two weeks from the date of filing of the interim application.

3. Till the disposal of the interim application filed in the statutory appeals the authorities should not take any steps for executing the demolition orders.

4. Copies of the demolition orders, passed under the acts should be properly served upon the persons against whom the orders are passed.

5. The orders of demolition proposed should be passed after giving an opportunity of hearing to the persons against whom the orders are proposed to be passed.

The Registrar General of this court is directed to forward a copy of this order to the chief secretary, government of Uttar Pradesh, Lucknow for ensuring the compliance by all the vice-chairmen of all the development authorities and the district magistrates throughout the State of Uttar Pradesh. The Registrar General shall also send a copy of this order for its compliance to all the vice-chairmen of the Development Authorities in the state of Uttar Pradesh as well as to all the District Magistrates for its compliance in term of the mandate given in the order.

The writ petitions are disposed off in term of the said order and the general Mandamus as directed above. (उक्त रिट याचिका में पारित आदेश की प्रति संलग्न है)

प्राधिकरण द्वारा उक्त चिन्हित निर्माणों के विरूद्ध पारित किये गये सील/ध्वस्तीकरण आदेशों के विरूद्ध पक्षकारों द्वारा माननीय न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल, मेरठ में 99 अपील योजित किये गये हैं, जोकि वर्तमान में विचाराधीन है। अपील में प्राधिकरण की ओर से अपना पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी की जा रही है। वर्तमान में पंचायत चुनाव होने के कारण प्राधिकरण एवं पुलिस बल की चुनाव डयूटी होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमित रूप से नही हो पा रही है।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा भी खुले स्थल, क्रीडा स्थल, ग्रीन वर्ज आदि स्थानों पर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एवं प्राधिकरण स्तर पर उक्त स्थलों पंर मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पाये इस सम्बन्ध में निर्देशजारी किये गए है। ध्वस्तीकरण हेतु आगामी निर्धारित तिथियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की उपलब्धता होने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

9/4/2021

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।